88
16/9/21

कार्यालय कलेक्टर, जिला–सूरजपुर एवं पदेन उप–सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर
क्र. 21 दिनांक 16/9/2021
15 SEP 2021
NIC
डिप्टी कलेक्टर / अपर कलेक्टर

अधिसूचना

क्रमांक 4916 / भू–अर्जन / सा.स.नि. / 2021 सूरजपुर, दिनांक 15/09/2021

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8 सहपठित नियम 26 के अन्तर्गत :–

सरगुजा रेल कॉरिडोर प्रा0लि0 के द्वारा रेलवे लाईन के निर्माण हेतु जिला सूरजपुर अन्तर्गत तहसील रामानुजनगर के ग्राम अक्षयपुर के कुल 01 खातेदार की कुल रकबा 0.030 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन / सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2196 / भू–अर्जन / 2018, दिनांक 06 / 10 / 2018 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था तथा श्री वहिदुर रहमान, डिप्टी कलेक्टर, सूरजपुर को उक्त विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। श्री वहिदुर रहमान, डिप्टी कलेक्टर, सूरजपुर के द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार विशेषज्ञ समूह द्वारा सरगुजा रेल कॉरिडोर प्रा0लि0 के द्वारा रेलवे लाईन के निर्माण हेतु जिला सूरजपुर अन्तर्गत तहसील रामानुजनगर के ग्राम अक्षयपुर के कुल 01 खातेदारों की भूमि का कुल रकबा 0.030 हे0 के अर्जन हेतु अनुशंसा की गई है।

3. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सभी प्रासंगिक अभिलेखों के अवलोकन एवं विचारोपरांत निष्कर्ष निम्नानुसार है–

प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत् और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण प्रस्तावित भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

(i) प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण प्रस्तावित भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

(ii) परियोजना के सामाजिक व्यय एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य लाभ अधिक है।

(iii) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है।

(iv) इस परियोजना के लिए ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका ग्राम अक्षयपुर में पूर्व अर्जन किया गया है।

(v) भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित प्रभावित कुटुम्बों की पूर्व सहमति विहित रीति एवं निर्धारित प्रारूप में अभिप्राप्त कर ली गई है।

अतएव विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा के आधार पर (क) न्यूनतम विस्थापन (ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधा (ग) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए सरगुजा रेल कॉरिडोर प्रा0लि0 के द्वारा रेलवे लाईन के निर्माण हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन के संलग्नक मे दर्शाए अनुसार जिला सूरजपुर अन्तर्गत तहसील रामानुजनगर के ग्राम अक्षयपुर के कुल 01 खातेदार की कुल रकबा 0.030 हे0 निजी भूमि का "भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" एवं प्रासंगिक नियमों के अनुसार अर्जन का विनिश्चय किया जाता है।

(डॉ. गौरव कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4916/भू–अर्जन / 2021 सूरजपुर,दिनांक 13 / 09 / 2021

प्रतिलिपि–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
2. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर।
4. अनुविभागीय अधिकारी, सूरजपुर।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सूरजपुर / भू–अर्जन शाखा, जिला कार्यालय, सूरजपुर को अधिसूचना की एक–एक प्रति जिले के वेबसाइट पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी, नाजरात शाखा, को अधिसूचना की प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु।
7. तहसीलदार, रामानुजनगर, जिला– सूरजपुर।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामानुजनगर, जिला सूरजपुर।

...... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

कलेक्टर
जिला–सूरजपुर,(छ.ग.)